संख्या-19/2016/122बीपी/35-1-2016

प्रेषक,

जे0बी0 सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता,
लघु सिंचाई विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

नियोजन अनुभाग-1 लखनऊ: दिनांक **22** जून, 2016

विषय: बुन्देलखण्ड पैकेज के अन्तर्गत लघु सिंचाई विभाग की परियोजनाओं हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि बुन्देलखण्ड पैकेज के अन्तर्गत लघु सिंचाई विभाग अधीन रिचार्ज एवं डीपनिंग/रिनोवेशन आफ डगवेल नामक परियोजना की वर्ष 2010-11 में शासनादेश संख्या-2159/35-आ-1/2010, दिनांक 31 अगस्त,2010 द्वारा रू. 300.00 करोड़(अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता रू. 125.00 करोड़ और मनरेगा रू. 175 करोड़) की लागत पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए रू. 10000.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई थी, जिसके सापेक्ष विभाग द्वारा रू. 158.95 लाख की धनराशि व्यय की गई तथा अवशेष धनराशि समर्पित कर दी गई। वर्ष 2011-12 में शासनादेश दिनांक 11 अप्रैल,2011 द्वारा रू. 12341.05 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई थी, जिसके सापेक्ष विभाग द्वारा रू. 1365.00 लाख की धनराशि व्यय की गई तथा अवशेष धनराशि समर्पित कर दी गई। 2012-13 में शासनादेश दिनांक 09 जनवरी,2013 द्वारा रू. 1265.78 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई थी, जिसके सापेक्ष विभाग द्वारा रू. 710.74 लाख की धनराशि व्यय की गई तथा अवशेष धनराशि समर्पित कर दी गई। 2013-14 में शासनादेश दिनांक 23 जुलाई, 2013 द्वारा रू. 555.04 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई थी, जिसके सापेक्ष विभाग द्वारा रू. 485.54 लाख की धनराशि व्यय की गई तथा अवशेष धनराशि समर्पित कर दी गई। वर्ष 2014-15 में शासनादेश दिनांक 02 जून,2014 द्वारा रू. 1093.36 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई थी, जिसके सापेक्ष विभाग द्वारा रू. 945.97 लाख की धनराशि व्यय की गई तथा अवशेष धनराशि समर्पित कर दी गई। वर्ष 2015-16 में शासनादेश दिनांक 01 जून,2015 द्वारा रू. 710.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई थी, जिसके सापेक्ष विभाग द्वारा रू. 635.00 लाख की धनराशि व्यय की गई तथा अवशेष धनराशि रू. 75.00 लाख समर्पित कर दी गई। इस प्रकार वर्ष 2015-16 तक परियोजनान्तर्गत अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के सापेक्ष रू. 4301.00 लाख धनराशि व्यय हुई है और रू. 9.90 करोड़ की अवशेष देय बचती है। एतद द्वारा परियोजना के कार्यों हेतु भारत सरकार द्वारा अवमुक्त अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता रू. 52.91 करोड़ अनुमोदित केन्द्रीय सहायता की सीमा के अधीन रहते हुए वर्ष 2016-17 में विभागीय मॉग के अनुरूप रू. 75.00 लाख (पचहत्तर लाख मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1- सन्दर्भित शासनादेशों की अन्य शर्तें यथावत रहेगी।

2- कार्यों को मानको के अनुरूप पूर्णगुणवत्ता के साथ पूर्ण किया जायेगा तथा लागत में वृद्धि अनुमन्य नहीं होगी।

3- स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष कार्यवार वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की सूचना पूर्व निर्धारित प्रारूप पर प्रत्येक माह की 07 तारीख तक नियोजन विभाग को भेजी जायेगी।

2- स्वीकृत धनराशि के समक्ष होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2016-17 के बजट के अनुदान संख्या-40 के अन्तर्गत लेखाशीर्ष 4575-अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम पर पूँजीगत परिव्यय-आयोजनागत-02-पिछड़े क्षेत्र-800-अन्य व्यय-04-बुन्देलखण्ड की विशेष योजनायें-11-रिचार्ज एवं डीपनिंग/रिनोवेशन आफ डगवेल-24-वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

जायेगा। उक्त लेखाशीर्षक में प्रश्नगत धनराशि अनुदान संख्या 40 के लेखाशीर्ष 4575-अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-02-पिछडे क्षेत्र-800-अन्य व्यय-03-बुन्देलखण्ड विशेष योजनायें-00-42-अन्य व्यय में उपलब्ध बचतों से पुनर्विनियोग कर स्वीकृत की गई है। आदेश यूओ संख्या- 08बीके/35-1-2016, दिनांक 14 जून 2016 द्वारा पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृत की गई है।

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या:1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22 मार्च 2016 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अनुक्रम में जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

जे.बी.सिंह
विशेष सचिव।

संख्या–19/2016/122बीपी(1)/35-1-2016, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रधान महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, इलाहाबाद।
3. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग।
4. प्रमुख सचिव, लघु सिंचाई विभाग।
5. निजी सचिव, मा0 मुख्य मंत्री जी।
6. मण्डलायुक्त, झांसी/चित्रकूट धाम।
7. जिलाधिकारी, झांसी/ललितपुर/ जालौन/ हमीरपुर/ बांदा/ महोबा/चित्रकूट।
8. मुख्य विकास अधिकारी, झांसी/ललितपुर/जालौन/ हमीरपुर/ बांदा/ महोबा/ चित्रकूट।
9. कोषाधिकारी, झांसी/ललितपुर/जालौन/ हमीरपुर/ बांदा/ महोबा/ चित्रकूट।
10. जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, झांसी/ललितपुर/जालौन/हमीरपुर/बांदा/महोबा/चित्रकूट।
11. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-5
12. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

जे.बी.सिंह
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।